

प्रेषक,

शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
30प्र0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण,
लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 18-10-2024

विषय: 30प्र0 राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के लिये वित्तीय वर्ष 2024-25 में मानक मद-20-सहायता अनुदान- सामान्य (गैर वेतन) के अन्तर्गत प्राविधानित बजट रु0 550.00 लाख में से तृतीय किश्त के रूप में रूपये 137.50 लाख की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में आपके पत्र संख्या-715/ रा0आ0प्र0प्रा/2024-25, दिनांक 05.09.2024 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-5 1 के लेखाशीर्षक-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-80- सामान्य-800-अन्य व्यय-06-उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण-20-सहायता अनुदान -सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि रु0 550.00 लाख में से तृतीय किश्त के रूप में रूपये 137.50 लाख (रूपये एक करोड़ सैंतिस लाख पचास हजार मात्र) धनराशि की वित्तीय स्वीकृति वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 19 जून, 2024 के प्राविधानानुसार निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, 30प्र0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, लखनऊ के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं-

(धनराशि लाख रु0 में)					
क्र०	मानक मद	प्राविधानित धनराशि	पूर्व में स्वीकृत धनराशि	स्वीकृत की जाने वाली धनराशि	अवशेष धनराशि
1	सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) 2245-80-800-06-00-20	550.00	275.00	137.50	137.50
	योग -	550.00	275.00	137.50	137.50

(रूपये एक करोड़ सैंतिस लाख पचास हजार मात्र)

नियम व शर्त / प्रतिबन्धों

- (1) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा।
- (2) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2025 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है, तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2025 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।
- (3) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 एवं संख्या-4/2024/बी-01-607/दस-2024-231/2024 दिनांक 19 जून, 2024 का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) राज्य सरकार द्वारा दिये जा रहे अनुदान से प्रतिवद्ध मदों का व्यय वहन करने के पश्चात ही मितव्ययी मदों में उपयोग किया जायेगा।

(5) उक्त अवमुक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड- 5, भाग-1 के प्रस्तर- 369 - एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0 42 आई में शासन को उपलब्ध कराते हुये अगली किश्त की मांग का प्रस्ताव उपलब्ध कराया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय में रूपये 137.50 लाख (रूपये एक करोड़ सैंतिस लाख पचास हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245-80-800-06-00 उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण मानक मद 20 सहायता अनुदान सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या- E-5-88-X-2024-25-दिनांक 17.10.2024 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

Signed by भवदीय,

Shailendra Mani Tripathi

Date: 18-10-2024 12:49:13
(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)

अनु सचिव ।

संख्या-1539(1)/एक-10-2024-33(46) / 2018 तददिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महसूलेखाकार, (प्रथम)/आडिट प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज ।
- 2- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0
- 3- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन(ई-बजट), राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन ।
- 4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
- 6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/2
- 7- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र मणि त्रिपाठी)

अनुसचिव ।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2024-2025
आवंटन दिनांक-18/10/2024

प्रेषण संख्या:- 1539
आवंटन आदेश संख्या:- 001-1539
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2024-2025 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)
80 - सामान्य
800 - अन्य व्यय
06 - उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		20-सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	योग
1	जवाहर भवन, लखनऊ-6019-up state disaster management authority , lucknow-01-a	वर्तमान प्रगामी	13750000 41250000	13750000 41250000
	योग	वर्तमान प्रगामी	13750000 41250000	13750000 41250000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया एक करोड़ सैंतीस लाख पचास हजार

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया चार करोड़ बारह लाख पचास हजार



(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
(संतोष कुमार)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी
राहत आयुक्त कार्यालय
उत्तर प्रदेश।